05/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वकील
वादी को दिनांक 27/8/2020 को प्रतिवादीगण
की तामील रजि0 ए0डी0 से कराने हेतु निर्देशित किया
गया था। [illegible] नोटिस प्राप्त नहीं किये। वकील
वादी ने दिनांक 12.01.2021 को अखबार प्रकाशन
कराने हेतु निवेदन किया जिस पर न्यायालय द्वारा
अखबार में प्रकाशन कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
[illegible] वकील वादी ने रजि0 ए0डी0 नोटिस
[illegible] अखबार साथ नोटिस [illegible]
पेश नहीं किये जाते। [illegible] वकील वादी वाद को आगे
चलाना नहीं चाहता है ऐसा। वाद वादीगण अनुपस्थिति
धारा 09 R 05 में खारिज किया जाता है। पत्रावली
निर्णय के बाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:13:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

अनिता बनाम शिप्रा कृष्णा

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या–प्रा०प० / 13/2020

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/3/2021	पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश हुई । वाद संख्या 29/2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन में प्रार्थी श्रीमती अनिता देवी ने दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व प्रार्थी श्री तेजपाल व अन्य ने दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश कर इस वाद में दिनांक 20.08.2019 को जारी निर्णय व अंतिम डिक्री को खारिज फरमाए जाने हेतु निवेदन किया । प्रार्थी अनिता ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वाद में प्रार्थी को बिना कोई नोटिस तामील करवाये ही वाद अंतिम डिक्री किया गया है व प्रार्थी तेजपाल व अन्य ने भी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वाद में प्रार्थीगण को बिना कोई तामील करवाये ही वाद अंतिम डिक्री किया गया है। अतः दोनों प्रार्थीगण ने वाद संख्या 29/2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.08.2019 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया । प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश होने के उपरांत समस्त पक्षकाराने की तामील करवाई गई । दिनांक 30.09.2019 को रजिस्टर्ड एडी से तामील करवाए जाने के बाद कोई लिफाफे लौटकर नहीं आए । अतः तामील पूर्ण मानी गई । अप्रार्थी संख्या 06 रामजीवन की ओर से दिनांक 03.02.2021 को जवाब पेश किया गया जिसमें उन्होंने अवगत करवाया कि प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की सहमति से ही प्रकरण प्रारंभिक डिक्री व अंतिम डिक्री किया गया व तहसीलदार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम डिक्री में प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से की जमीन का तकासमा कर वर्णन किया है । प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में वर्णित हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहा है। दिनांक 09.02.2021 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । जिसमें अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत कैंप जयसिंहपुरा मे उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किए जाने उपरांत ही किया गया जैसा कि पत्रावली मे दिनांक 14.06.2018 की आदेशिका मे अंकित है। अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी कहा कि तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट व अंतिम डिक्री भी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कब्जे को प्राथमिकता देते हुए ही बनाई गई है। वाद में अंतिम डिक्री [illegible] आपत्तियों की बहस/आपत्ति सुनने के उपरांत ही [illegible] यह भी कहा कि राजस्व कैंप कोर्ट [illegible] । अतः प्रार्थीगण अ[illegible] का होना असत्य है । [illegible] डिक्री होकर इजराय की स्टेज पर है, ऐसी स्थिति [illegible] निर्णय को बदला करना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । [illegible] अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में उपरोक्त तथ्यों को तकसमा व अंतिम डिक्री कायम रखने हेतु निवेदन किया । प्रार्थीगण ने अंतिम बहस में यह स्पष्ट किया कि यह अंतिम डिक्री में अमल कुर्रेजात में प्रस्तावित हिस्से अनुसार व उनके कब्जे अनुसार उनका खाता पृथक कायम किया जाना [illegible]	(आर.ए.एस.) [illegible] शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:13:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उन्हे इस अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति नही है। इस बाबत प्रार्थीगण ने पत्रावली म आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन कर न्यायालय यह पाता है कि यह वाद में लिखित अनुसार उभय पक्षकारान के निवेदन अनुसार ही वाद में अंतिम डिक्री व निर्णय किया गया। प्रार्थीगण के खिलाफ कहीं भी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई अतः वह कुर्रेजात में आपत्ति दायर करने के लिए स्वतंत्र थे परंतु सही समय पर आपत्ति न कर प्रार्थीगण ने निर्णय की इजराय की स्टेज पर प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश किया है जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र बहस में प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट किया व आदेशिका में हस्ताक्षर किये कि यदि कुर्रेजात में दर्शाए हिस्से व कब्जा अनुसार अगर उनका पृथक से खाता कायम कर दिया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अतः न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थीगण को दिनांक 20.08.2019 को पारित निर्णय व अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है बल्कि अंतिम डिक्री में दिए उनके हिस्से व कब्जे की प्राथमिकता अनुसार व अपना पृथक खाता कायम करवाना चाहते हैं। रागी पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय वाद में निर्णय को खारिज करना उचित नहीं समझता। अतः प्रार्थी अनिता देवी व तेजपाल वगैरह का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 खारिज फरमा कर वाद संख्या 29/2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन में पारित संशोधित डिक्री दिनांक 26/3/2021 को कायम रखता है। वाद में अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है इसलिए इस मौके पर उसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक खाता कायम करना उचित नहीं है। इस बाबत् प्रार्थीगण सक्षम अधिकारी के पास विभाजन करवाकर पृथक खाता कायम करवा सकते हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज नंबर रो कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:13:38 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर साउथ प्रथम

Scanned with CamScanner